

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, जौनपुर।

निविदा सूचना


सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश एवं माननीय जनपद न्यायाधीश के अनुमोदन आदेश दिनांक 25.11.2016 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2016-17 की शेष अवधि हेतु जनपद न्यायालय परिसर जौनपुर स्थित निम्नांकित 5 दुकानों/ प्रतिष्ठानों की नीलामी दिनांक 15.12.2016 को न्यायालय परिसर स्थित अनुश्रवण कक्ष में आयोजित है। इस हेतु दिनांक 14.12.2016 की सांय 4.30 बजे तक सील बंद लिफाफे में निविदाये आमंत्रित की जाती है।

नीलामी योग्य दुकानों आदि का विवरण, उनके लिये न्यूनतम बोली की धनराशि एवं धरोहर की धनराशि निम्नवत् निर्धारित की गई है :-

क्रमांक	दुकान/ठेका का विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17 की शेष अवधि हेतु निर्धारित न्यूनतम बोली की धनराशि	धरोहर/प्रतिभूति की धनराशि
1	2	3	4
1	कैन्टीन नं0-3	27,968-00	6,992-00
2	कैन्टीन "न्याय भवन"	44,302-00	11,076-00
3	पान की दुकान नं0-3	12,644-00	3,160-00
4	फोटोस्टेट की दुकान (नया भवन)	46,918-00	11,730-00
5	स्टेशनरी की दुकान (उत्तरी)	2,630-00	658-00

उक्त लोक विक्रय में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों/ठेकेदारों को निम्नलिखित शर्तों का पालन अनिवार्यतः करना होगा :-

1. निविदा प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागी के विरुद्ध विगत किसी वर्ष/ अवधि के सम्बन्ध में कोई धनराशि अवशेष नहीं होनी चाहिये।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागी को निविदा के साथ दिनांक 14.12.2016 की सांय 4.30 बजे तक ऊपर स्तम्भ-4 में अंकित धनराशि बतौर प्रतिभूति/धरोहर नकद रोकड़ के रूप में नजारत अनुभाग में जमा करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागी को धरोहर/प्रतिभूति की निर्धारित धनराशि के साथ दिनांक 14.12.2016 तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अधिवास, हैसियत एवं चरित्र प्रमाणपत्र सत्यापित फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही प्रतिभागी को नोटरी शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में विचारण नहीं चल रहा है, उसे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित अथवा दोषसिद्ध नहीं किया गया है एवं उसके विरुद्ध किसी पुलिस थाना में पंजीकृत अभियोग की विवेचना लम्बित नहीं है।
4. प्रत्येक दुकान/ प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में निविदा में अंकित एवं इस कार्यालय/ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित धनराशि धरोहर की सम्पूर्ण





धनराशि समायोजित कर ली जायेगी किन्तु नीलामी की धनराशि के सापेक्ष धरोहर की धनराशि कम होने की दशा में प्रतिभागी को अन्तर की धनराशि, यदि कोई हो, वित्तीय वर्ष के प्रथम सप्ताह में जमा करना अनिवार्य होगा।

5. नीलामी की अन्तिम स्वीकृति के उपरान्त सम्बन्धित बिडर/ठेकेदार को निम्नांकित शर्तों को पालन करना अनिवार्य होगा :-

1. ठेकेदार को नियमानुसार जनरल स्टैम्प पर एक अनुबंधपत्र लिखना होगा।
  2. किसी ठेकेदार को नीलामी में स्वीकृत दुकान संचालित करने हेतु किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।
  3. दुकानदार को विक्रय योग्य प्रत्येक सामान की मूल्यसूची दुकान पर प्रदर्शित करना होगा और जनपद न्यायाधीश, जौनपुर द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही सामान का विक्रय करना होगा।
  4. दुकान का संचालन अस्थाई निर्माण पर किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में ठेकेदार को अपने व्यय पर दुकान स्वयं हटाना होगा अन्यथा दुकान हटाने में होने वाले व्यय की वसूली दुकानदार से की जायेगी।
  5. दुकानदार को बिजली एवं पानी की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी तथा दुकान के चारों ओर सफाई व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी।
  6. सम्बन्धित दुकान के सम्बन्ध में राज्य सरकार/स्थानीय निकाय को देय कर, यदि कोई हो, का भुगतान दुकानदार को स्वयं करना होगा।
  7. दुकान पर उपलब्ध सामग्री स्वास्थ्यप्रद एवं अच्छी गुणवत्तायुक्त होनी चाहिये।
  8. दुकानदार को दुकान की जमीन पर कोई अधिकार नहीं होगा।
  9. सम्बन्धित दुकान का निरीक्षण जनपद न्यायाधीश, प्रभारी अधिकारी नजारत अथवा जनपद न्यायाधीश द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।
6. उपर्युक्त क्रमांक 4 में दर्शायी गई अवधि में देय धनराशि जमा न किये जाने की दशा में सम्बन्धित दुकान बन्द करा दी जायेगी तथा वसूली की कार्यवाही नियमानुसार बकाया राजस्व के रूप में की जायेगी।
7. उपर्युक्त नीलामी के द्वारा किसी दुकान/ठेके की अनुज्ञा स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने अथवा संशोधित करने का पूर्ण अधिकार जनपद न्यायाधीश, जौनपुर को होगा एवं इस सम्बन्ध में उत्पन्न किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय, जौनपुर को होगा।


अध्यक्ष,  
नीलामी समिति/अपुर जिला जज  
कोर्ट नं०-4, जौनपुर।  
2611.2016



जौनपुर जजशिप :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिला सूचना अधिकारी, जौनपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति को बतौर न्यूज आइटम निःशुल्क प्रकाशित करायें।
2. एन.आई.सी. की वेबसाइट पर प्रसारण हेतु।
3. नोटिस बोर्ड दीवानी न्यायालय, जौनपुर।
4. नोटिस बोर्ड, जिला पंचायत कार्यालय जौनपुर।
5. नोटिस बोर्ड, नगर परिषद, जौनपुर।
6. नोटिस बोर्ड, जिला चिकित्सालय, जौनपुर।
7. नोटिस बोर्ड कलेक्ट्रेट, जौनपुर।
8. नोटिस बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, जौनपुर।
9. नोटिस बोर्ड रेलवे स्टेशन, जौनपुर।
10. नोटिस बोर्ड, बस स्टैण्ड, जौनपुर।

  
 अध्यक्ष, 26/11/16  
 नीलामी समिति / अपर जिला जज  
 कोर्ट नं०-4, जौनपुर।  
 26.11.2016